

डी०एन०डी० टोल प्लाजा उ०प्र० राज्य की सीमा के अन्दर आता है।

मा० उच्च न्यायालय में योजित पी०आई०एल० संख्या-60214/12 फेडरेशन ऑफ नौएडा रेजीडेन्ट्स वेलफेयर एसोसिएशन बनाम नौएडा टोल ब्रिज कम्पनी लि० एवं अन्य में मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 26-10-2016 के अनुपालन में डी०एन०डी० टोल प्लाजा पर टोल फी की वसूली नहीं की जा रही है, अपितु दक्षिण दिल्ली नगर निगम द्वारा डी०एम०सी० एक्ट, 1957 के अन्तर्गत दक्षिण नगर निगम के कॉन्ट्रैक्टर के माध्यम से डी०एन०डी० टोल प्लाजा साईट की बाईं तरफ के 4 लेन पर डी०एम०सी० टोल टैक्स/ईसीसी कलेक्शन किया जा रहा है।

उपर्युक्तानुसार ।

प्रश्न नहीं उठता ।

नन्द गोपाल गुप्ता 'नन्दी'  
मंत्री,

औद्योगिक विकास, निर्यात प्रोत्साहन, एन०आर०आई० एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग ।